E-Mail

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (7) अपील–18/2024.....2147 नि0 19/05/2025

आदेश

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं0–12876 दिनांक–22.07.2024 के विरूद्ध अपीलार्थी श्री प्रकाश कुमार, (Emp. ID No.- AEN04080), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8 (4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

उभयपक्ष उपस्थित।

उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया है।

अपीलार्थी का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत है :–

बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–941–।। दिनांक–29.12.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री प्रकाश कुमार, (Emp. ID No.- AEN04080) द्वारा आवंटित राजस्व ग्राम–चौथम का खानापुरी कार्य दिनांक–17.11.2022 से प्रारंभ करने के बाद भी प्रतिवेदित तिथि तक 12944 खेसरा में से मात्र 2751 खेसरा का खानापुरी एवं 1694 खेसरा का याद्दाश्त पंजी संधारण किया गया है। अपीलार्थी दिनांक–20.11.2023 से अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित थे, इस संबंध में शिविर प्रभारी द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर भी इनके द्वारा नहीं दिया गया है। फलस्वरूप कार्य में रूचि नहीं लेने एवं बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण अपीलार्थी की संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया के उक्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–751 दिनांक–12.02.2024 द्वारा अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। स्पष्टीकरण में अपीलार्थी द्वारा बताया गया है कि आवंटित ग्राम का खानापुरी कार्य दिनांक–17.11.2022 से प्रारंभ किया गया है, परंतु शिविर प्रभारी एवं कानूनगो के मौखिक/लिखित निदेशानुसार 2500 से कम खेसरों वाले दूसरे ग्राम के प्रपत्र–6 इंट्री एवं चौहद्दी अपडेशन के कार्य में सहयोग करने का निदेश दिया गया था। 2500 से कम खेसरो वाले ग्रामों में मैं प्रपत्र–6 का इन्ट्री एवं चौहद्दी अपडेशन का कार्य कई दिनों तक किया, जिसके कारण मुझे आवंटित मौजों के कार्य में विलम्ब हुआ। शेष कार्य को जल्द पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है। अपनी अनुपस्थिति के संबंध मे अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि मेरी पत्नी एवं नवजात शिशु की तबियत खराब रहने एवं स्वयं का पैर जख्मी होने का साक्ष्य (डॉक्टर का पूर्जा संलग्न) देते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का आग्रह किया गया है।

अपीलार्थी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय द्वारा बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया से मंतव्य की मांग की गयी। बन्दोबस्त पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–138–II दिनांक–25.04.2024 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए पुनः संविदा नियोजन रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

दाखिल स्पष्टीकरण की समीक्षा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा किया गया। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री कुमार द्वारा कार्य में रूचि नहीं लेने, अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने एवं विशेष सर्वेक्षण जैसे समयबद्ध कार्य बाधित होने के कारण अपीलार्थी का संविदा समाप्त किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि मेरा खानापुरी कार्य दिनांक–17.11.2022 को प्रारंभ किया गया था। कार्य सुचारू ढंग से चल रहा था कि शिविर प्रभारी एवं कानूनगो के द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से समय–समय पर 2500 से कम खेसरो वाली दूसरे मौजा में सहयोगी के रूप में प्रपत्र–6 की इंट्री एवं चौहद्दी अपडेशन का कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक–20.11.2023 से अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में कहना है कि अगस्त, 2023 में मेरे बच्चे के जन्म के बाद पत्नी की तबियत ज्यादा खराब हो गयी। साथ ही बच्चे को जोन्डीस तथा नाभी में इन्फेक्सन के कारण उसे आई0सी0यू0 में भर्ती करना पड़ा एवं मेरे द्वारा पितृत्व अवकाश लिया गया (छायाप्रति संलग्न)।

अपीलार्थी द्वारा आगे बताया गया कि राजस्व ग्राम–चौथम से खानापुरी कर लौटने के दौरान चौक पर मोटरसाईकिल से एक्सीडेंट में मेरा बांया पैर जख्मी हो गया था, जिसके इलाज के बाद मैं अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा था, लेकिन पुनः दिनांक–16.11.2023 को मेरा पैर अचानक फुल गया एवं दर्द करने लगा जिसके इलाज के लिए मेरे द्वारा शिविर कार्यालय के सरकारी Whatsapp Group पर पत्र भेजकर छुट्टी की माँग की गयी थी। मेरे द्वारा लगातार समय–समय पर छुट्टी का आवेदन दिया गया था, लेकिन शिविर कार्यालय द्वारा लगातार मुझे अनुपस्थित किया गया। पुनः स्वस्थ होकर दिनांक–04.12.2023 को शिविर कार्यालय मैं योगदान दिया (छायाप्रति संलग्न), जबकि महोदय द्वारा दिनांक–14.12.2023 को योगदान करने का आरोप लगाया गया है, साथ ही दिनांक–20.11.2023 से अनाधिकृत रूप से गायब रहने का भी आरोप लगाया गया है।

अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील एवं संलग्न साक्ष्यों तथा बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया के मंतव्य से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी पर लगे आरोप के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सत्य प्रतीत होते हैं।

अतः निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं0–12876 दिनांक–22.07.2024 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी का अनुपस्थित अवधि को No Work No Pay मानते हुए संविदा सेवा में पुर्ननियोजित किया जाता है।

ह0 /–
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–18 / 2024......2147......पटना, दिनांक :–19/05/2025

प्रतिलिपिः– श्री प्रकाश कुमार, (Emp. ID No.- AEN04080), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया ईमेल– prakashmewar455@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

16/05/2025
विशेष कार्य पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–18 / 2024......2147......पटना, दिनांक :–19/05/2025

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

16/05/2025
विशेष कार्य पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–18 / 2024.......2147.......पटना, दिनांक :–19/05/2025

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/05/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–18 / 2024.......2147.......पटना, दिनांक :–19/05/2025

प्रतिलिपि:– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16/05/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–18 / 2024.......2147.......पटना, दिनांक :–19/05/2025

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16/05/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–18 / 2024.......2147.......पटना, दिनांक :–19/05/2025

प्रतिलिपि:– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/05/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप